



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार नोंडा-30
(प्रारूप-अ)

GM 692926



सत्र 2023-24 में नवस्थापित की
सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और
सचिव-पत्र का प्रारूप

जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मरी संस्थाओं की
सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी

मुख्य फोधाधिकारी

श्री. कीर्तिवर्धन सिंह (अध्यक्ष) एवं विद्युतनाथ पाण्डेय सर्फ हरीश पाण्डेय (सचिव) कमरा: अध्यक्ष एवं
सचिव राजा रघुराज सिंह द्विती कालेज सोसाइटी पता-प्लॉट नं-628 बरारकपुर मन्कापुर गोंडा शपथपूर्वक निम्नवत् बयान
करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा राजा रघुराज सिंह कालेज ऑफ फार्मसी एवं पता) प्लॉट नं-628 बरारकपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मरी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम राजा रघुराज सिंह द्विती कालेज ऑफ फार्मरी मन्कापुर गोंडा (पता जहां पर भूमि स्थित है) प्लॉट नं-628 में गाटा संख्या 628/3.76360 एवं X रकबा कमरा 0.81060 एवं 0.810 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि बियाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 628 एवं 3.763 में से रकबा 0.81060 एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 0.81060 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मरी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.09.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररनगत डिप्लोमा फार्मरी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Sly_{na}

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



हस्ताक्षर
 राजा रघुनाथ सिंह सिन्धी
 H.O सचिव
 राजा रघुनाथ सिंह सिन्धी
 राजा रघुनाथ सिंह सिन्धी - गोंडा

Identified
 S. Singh

H.O अध्यक्ष

K.V. Singh

SWORN & VERIFIED
 BEFORE ME
 ON 29/01/23
 Sattar Ali Khan
 ADV. & NOTARY
 Mankapur Gonda (U.P.)

Chairman
 Raja Raghunath Singh Degree College Society
 Mankapur, Mankapur-Gonda (U.P.)